

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।
..... (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिये निर्वाचन।

11-नरेन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से उत्तराखण्ड (राज्य/संघ-संज्य-क्षेत्र) की विधान सभा के लिये निर्वाचन।


.....महानगर परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र से दिल्ली की महानगर परिषद् के लिये निर्वाचन।
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री सुबोध उनियाल उनियाल भवन नरेन्द्रनगर (जो भारतीय जनता पार्टी (मान्यताप्राप्त/सजिस्ट्रीकृत-सज्जनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।)

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान- नई टिहरी।

तारीख- 10-03-2022।


रिटर्निंग ऑफिसर
11 नरेन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र
(उत्तराखण्ड राज्य)
रिटर्निंग ऑफिसर,
टिहरी गढ़वाल

11-नरेन्द्रनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र।

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules And Order)

FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of Uttarakhand from 11-Narendranagar Assembly constituency.


In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

SUBODH UNIYAL

uniyal bhawan, narendra nagar [sponsored by **Bharatiya Janata Party**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : *New Tehri*

Date : 10-03-2022



(Devendra Singh Negi)
Returning Officer
011-Narendranagar
Legislative Assembly Constituency